'ग्रामीण कृषि बाजारों' का कार्यकरण

*62. **श्री पी. एल. पुनिया:** क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'ग्रामीण कृषि बाजार' के अन्तर्गत कितनी 'मंडियां' स्थापित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त लक्ष्य के अनुसरण में राज्य-वार कुल कितनी मंडियां स्थापित की गई हैं;

(ग) उक्त मंडियों में से कितनी मंडियों में साप्ताहिक बाजार लगते हैं तथा कितनी मंडियों में रोजाना कामकाज होता है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मंडियों में से कितनी मंडियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा कितनी मंडियों में उपलब्ध नहीं हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परशोत्तम रुपाला): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) राज्य कृषि विपणन विभागों/बोर्डों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, देश में कुल 22,941 ग्रामीण हाट हैं जिनमें से 11,811 ग्रामीण हाट पंचायतों के नियंत्रण में हैं, 1274 ग्रामीण हाट कृषि उत्पाद मंडी समितियों (एपीएमसीएस) के नियंत्रण में हैं।

सरकार पहले ही 10,000 ग्रामीण कृषि मंडियों (ग्राम्स) में विपणन अवसंरचना के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए नाबार्ड के साथ 2,000 करोड़ रुपए की कृषि मंडी अवसंरचना कोष (ए.एम.आई.एफ.) को मंजूरी दे चुकी है। सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.एस.) प्रस्तुत करने के लिए ए.एम.आई.एफ. के प्रचालनात्मकक दिशा-निर्देश पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रचालित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, ग्राम्स के संचालन और प्रबंधन के लिए मॉडल दिशा-निर्देश भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस संबंध में उनके मार्गदर्शन देने के लिए परिचालित किए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.), भारत सरकार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.) के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा पंचायत के नियंत्रण में ग्रामीण हाटों की वास्तविक अवसंरचना का विकास और उन्नयन कर रहा है। एम.ओ.आर.डी. से उपलब्ध जानकारी के अनुसार, एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के तहत 410 ग्राम हाट में वास्त विक अवसंरचना/सुविधाओं का विकास किया गया है और 744 ग्राम हाट में विकास का कार्य चल रहा है। राज्य-वार सूची अनुबंध-I पर दी गई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग का एक संबद्ध कार्यालय विपणन और निरीक्षण निदेशालय (डी.एम.आई.) है जो मौजूदा ग्रामीण हाटों का सर्वेक्षण कर रहा है ताकि मौजूदा ग्रामीण हॉटों के स्थान, कामकाज की अवधि, मौजूदा अवसंरचना और सुविधाओं आदि की स्थिति का पता लगाया जा सके/मूल्यांकन किया जा सके। डी.एम.आई. ने अब तक 17,285 ग्रामीण हाटों का सर्वेक्षण पूरा किया है जिनमें से 73% अर्थात (12,618) ग्रामीण हाट साप्ताहिक आधार पर कार्य करते हैं जबकि 11% अर्थात (1,902) ग्रामीण हाट दैनिक आधार पर कार्य करते हैं।

उपर्युक्त सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण हाटों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

मूल सुविधा का नाम	उन मंडियों (हाट) की संख्या जिनमें मूलभूत सुविधाएं मौजूद थीं (%)
चारदीवारी या बाड़ लगाना	1383 (8%)
केवल शेड के बिना/शेड के साथ प्लेटफॉर्म बनाना	2593 (15%)
पक्का आंतरिक सड़क	2420 (14%)
शौचालय की सुविधा	691 (4%)
बिजली	4148 (24%)

अनुबंध-I

एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत ग्रामीण कृषि मंडियों के विकास और उन्नयन की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	मनरेगा के तहत ग्रामीण हाटों में वास्तंविक अवसंरचना का विकास/उन्नयन		
		ग्रामीण हाटों का विकास/ उन्नयन चल रहा है। (संख्या)	उन्नत/ विकसित ग्रामीण हाट (संख्या)	विकसित/ विकासाधीन कुल ग्रामीण हाट
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	111	14	125

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	01	03	04
3.	असम	09	01	10
4.	बिहार	29	03	32
5.	छत्तीसगढ़	59	28	87
6.	गुजरात	02	01	03
7.	हरियाणा	0	01	01
8.	हिमाचल प्रदेश	32	06	38
9.	जम्मू - कश्मीर	20	04	24
10.	झारखंड	01	0	01
11.	कर्नाटक	13	07	20
12.	केरल	17	01	18
13.	मध्य प्रदेश	50	64	114
14.	मणिपुर	01	23	24
15.	मेघालय	09	02	11
16.	मिजोरम	52	70	122
17.	नागालैंड	-	02	02
18.	ओडिशा	16	21	37
19.	पुडुचेरी	01	0	01
20.	पंजाब	07	02	9
21.	राजस्थान	49	30	79
22.	सिक्किम	-	03	3
23.	तमिलनाडु	48	18	66
24.	तेलंगाना	07	01	08

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	02	07	09
26.	उत्तर प्रदेश	35	61	96
27.	उत्तराखंड	26	11	37
28.	पश्चिम बंगाल	147	26	173
	कुल	744	410	1154

Functioning of GrAMs

†*62. SHRI P. L. PUNIA: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) the number of 'mandis' targeted to be set up under 'Gramin Agricultural Markets' (GrAMs) along with the details thereof;

(b) the number of Total 'mandis' set up in compliance with the said target, State-wise;

(c) the number of the said 'mandis' that organise weekly market and the number of 'mandis' which function on daily basis, the details thereof; and

(d) the number of 'mandis' out of above which have the basic facilities and which do not have it, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI PARSHOTTAM RUPALA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) As per information received from State Agricultural Marketing Departments/Boards, there are a Total of 22,941 numbers of rural haats in the country, of which 11,811 numbers of rural haats are under control of Panchayats, 1274 numbers of rural haats are under control of Agricultural Produce Market Committees (APMCs).

†Original notice of the question was received in Hindi.

Government has already approved Agricultural Market Infrastructure Fund (AMIF) of ₹ 2,000 crore with NABARD for availing of assistance by States/Union Territories for development of marketing infrastructure in 10,000 Gramin Agricultural Markets (GrAMs). Operational guidelines of AMIF have already been circulated to the States/ Union Territories (UTs) for submitting proposals/Detailed Project Reports (DPRs) to avail assistance. Apart from this, model guidelines to operate and manage GrAMs have also been circulated to the States/UTs to guide them in this regard.

Ministry of Rural Development (MoRD), Government of India has been developing and up-grading physical infrastructure of rural haats under control of panchayats through States/Union Territories through Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) for development of GrAMs. As per information available from MoRD, physical infrastructure/facilities under MGNREGS have been developed in 410 rural haats and in under development in 744 number of rural *haats*. State-wise list is given at Annexure (*See* below).

(c) and (d) Directorate of Marketing and Inspection (DMI), an attached office of Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare, Government of India, has been undertaking a survey of existing rural *haats* to find/assess location, functioning periodicity, status of existing infrastructure and facilities, etc. in the existing rural *haats.* DMI has so far completed survey of 17,285 rural *haats,* out of which 73% (12,618 No.) rural *haats* function on weekly basis, while 11% (1,902 No.) rural *haats* function on daily basis.

As per the aforesaid survey, the details of basic facilities available in rural *haats* are as follows:–

Name of the basic facility	Number of mandis *(haats)* wherein basic facilities existed (%)
Boundary wall or fencing	1383 (8%)
Raised platform with/without shed, shed only	2593 (15%)
Pakka internal road	2420 (14%)
Toilet facility	691 (4%)
Electricity	4148 (24%)

Annexure

Status of development/up-gradation of Rural haats under MGNREGS

Sl. No.	State/UT	Development/upgradation of physical infrastructure in rural *haats* under MGNREGS		
		Rural haats under development/ up gradation (Nos.)	Rural *haats* upgraded/ developed (Nos.)	Total No. of Rural haats developed/ under development
1	2	3	4	5
1.	Andhra Pradesh	111	14	125
2.	Arunachal Pradesh	01	03	04
3.	Assam	09	01	10
4.	Bihar	29	03	32
5.	Chhattisgarh	59	28	87
6.	Gujarat	02	01	03
7.	Haryana	0	01	01
8.	Himachal Pradesh	32	06	38
9.	Jammu and Kashmir	20	04	24
10.	Jharkhand	01	0	01
11.	Karnataka	13	07	20
12.	Kerala	17	01	18
13.	Madhya Pradesh	50	64	114
14.	Manipur	01	23	24
15.	Meghalaya	09	02	11
16.	Mizoram	52	70	122

1	2	3	4	5
17.	Nagaland	-	02	02
18.	Odisha	16	21	37
19.	Puducherry	01	0	01
20.	Punjab	07	02	9
21.	Rajasthan	49	30	79
22.	Sikkim	-	03	3
23.	Tamil Nadu	48	18	66
24.	Telangana	07	01	08
25.	Tripura	02	07	09
26.	Uttar Pradesh	35	61	96
27.	Uttarakhand	26	11	37
28.	West Bengal	147	26	173
	TOTAL	744	410	1154

श्री पी. एल. पुनिया: धन्यवाद, उपसभापति जी। माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए जवाब में स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र की मंडियों की स्थिति बहुत खराब है। केवल 14 प्रतिशत मंडियों में ही सड़कें हैं, 4 प्रतिशत मंडियों में शौचालय हैं, 8 प्रतिशत बाज़ारों में चार-दीवारी है, केवल 4 प्रतिशत बाजारों के पास गोदाम है और 15 प्रतिशत में ही प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। इन सुविधाओं के अभाव में काम नहीं हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार तय सीमा के अंदर इन मंडियों में विकास का काम करवाना सुनिश्चित करेगी?

श्री परशोत्तम रुपाला: माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य पुनिया जी ने मंडियों के बारे में जो बयान किया, वह बिल्कुल हकीकत है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमने आपको जवाब में जो फिगर्स दिए हैं, वे उन मंडियों के हैं, जो मंडियां अभी APMC Act के तहत कार्यरत हैं। ये मंडियां ऐसी नहीं हैं। ये मंडियां अपनी परंपरा से गांवों में लगती हैं। कहीं दो-चार-पांच गांवों के लोग इकट्ठे होकर सप्ताह में एक बार मिल लेते हैं, तो हमारी सरकार ने इस प्रकार की मंडियों को सुनिश्चित करके APMC Act के तहत हमारे देश में जो मंडियां कार्यरत हैं, वे उसी के लेवल में न आएं, उनको भी प्राथमिक सरंचना देने के लिए अभी हमारे rural development की ओर से मनरेगा को इस प्रकार की मंडियों के साथ जोड़ने

[श्री परशोत्तम रुपाला]

का प्रयास किया है और ऐसी 22 हजार मंडियों को चिन्हित किया गया है। इस प्रकार की जगहें rural में चल रही है। अब उनको primary infrastructure देने के बारे में बताया गया है। उनमें जिन मंडियों का चित्र आपके सामने आया है, वह है। भारत सरकार ने इसमें इन मंडियों को और आगे बढ़ाने के लिए एक fund भी raise किया है।

श्री उपसभापति: माननीय पुनिया जी, अपना सेकेंड सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री पी.एल.पुनिया: मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 3 जनवरी, 2019 में इस विषय पर Standing Committee की एक report आई थी, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि ग्राम योजना, जो ग्रामीण क्षेत्र में हैं, उसके अंतर्गत बाज़ारों की अवस्थापना infrastructure facilities को improve करने के लिए डर विकास करने के लिए इसे पूर्ण रूप से केन्द्र पोषित योजना के रूप में लागू किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस ग्राम योजना के अंतर्गत infrastructure facilities available कराने के लिए केन्द्र पोषित करने पर विचार करेगी?

श्री परशोत्तम रुपाला: उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मनरेगा के फंड से अभी 4?0 मंडियों को ऐसी प्राथमिक सुविधा देकर इनको grams में convert करने का प्रयास किया है। ग्राम हाटों को नया रूप देने के लिए इनमें निश्चित category हो, जैसे शौचालय हो, उसकी दीवार हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, पशु को पानी पिलाने की व्यवस्था हो, किसानों को उनकी जिन्स को रखने के लिए shed वगैरह हो - उतना primary infrastructure हो, तभी हम इनको ग्राम मानेंगे। ऐसे 410 ग्राम पूरे कर दिए गए हैं और 755 ग्रामों में काम प्रगति पर है। इसके अलावा मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने NABARD के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपए का फंड इन्हीं ग्राम हाटों को update करने के लिए बनाया है। राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के लोगों की ओर से हम दरख्वास्त मंगवा रहे हैं। इनके साथ हमारे डिपार्टमेंट का Memorandum of Understanding होगा, जिसके जरिए वे पैसा लोन के रूप में लेकर उस राज्य में इन मंडियों को पूर्ण स्तर की मंडी के रूप में विकसित कर सकते हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Amar Patnaik. Please be brief in your question.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, it is alarming that 96 per cent of the markets do not have toilets and I think even the smaller markets should have. What is more important is that there is no mention of grading equipments. It is because I think we have to move to a direction of building quality consciousness amongst the consumers as well as the producers. Now, grading equipments cannot be done from NREGA funds. So, I think, the Minister...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please put question.

DR. AMAR PATNAIK: Yes, Sir. I would like to know what action has been taken by the Government.

श्री परशोत्तम रुपाला: उपसभापति महोदय, मैंने पहले उत्तर में ही इस बात को बताने की कोशिश की थी कि ये मंडियां वे हैं, जो अपने आप में ही ग्राम बाज़ारों के रूप में चल रही थीं, इन्हें कोई नियंत्रित नहीं कर रहा था। कहीं-कहीं पर पंचायत वाले इतना करते थे कि आप हमारे प्लॉट पर कारोबार कर रहे हैं तो हमें सालाना इतना रुपया दे दीजिए। उसके अलावा उसमें कोई और काम नहीं हो रहा था - अपने आप किसान इकट्ठे होते थे और इधर आस-पास के व्यापारी इकट्ठे हो जाते थे एवं अपना कारोबार करके चले जाते थे। वहां और कोई संरचना नहीं थी। चूंकि वे वहां इकट्ठे हो रहे थे, इसलिए हम उन्हें ग्राम हाट के रूप में पहचानते थे। अब इन्हें "मनरेगा" के तहत सात-आठ चीज़ें करने का अनुमोदन किया, ताकि उतना तो कम से कम वहां हो। मैंने दूसरा पार्ट यह बताया कि NABARD के तहत 2,000 करोड़ रुपए का फंड इसके लिए हमने निश्चित करके रखा है, उसी में से वह सारी संरचना जैसे upgrading, packaging, parking, रास्ते, internal roads आदि इन सभी चीज़ों को करने के लिए हमने सभी राज्यों को गाइडलाइन्स प्रेषित कर दी हैं कि आप यदि इसके ज़रिए दरख्वास्त भेजेंगे तो फंड तैयार है और हम उसे देने के लिए भी तैयार हैं।

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, will the hon. Minister of Agriculture and Farmers Welfare be pleased to state, out of ₹2,000 crores of allotment in the last year's Budget only ₹10 crores were spent, why the full amount is not spent? What are the reasons? Number two is...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No; only one question.

SHRI P. WILSON: Okay, Sir, I oblige.

श्री परशोत्तम रुपाला: सर, मैंने अभी बताया कि यह फंड हमने बनाकर रखा है। राज्य सरकारों को गाइडलाइन्स भेज दी गयी हैं। राज्य सरकारों की ओर से अभी हमारे पास दरख्वास्त प्राप्त नहीं हुई है और कोई दरख्वास्त पेंडिंग भी नहीं है। जैसे ही राज्य सरकारों की दरख्वास्त आएगी, हम पैसा देने के लिए तैयार हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri G. V. L. Narasimha Rao.

SHRI P. WILSON: For Tamil Nadu....

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*...

श्री जी. वी. एल. नरसिहा राव: धन्यवाद उपसभापति महोदय, agricultural marketing and contract farming को लेकर संसद ने कानून बनाए और बजट में माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा

[श्री जी. वी. एल. नरसिहा राव]

कि जो राज्य सरकारें केन्द्र के इस कानून को प्रदेशों में अमल में लाएंगी, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। केन्द्र के तीन agricultural Acts को..

श्री उपसभापति: कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री जी.वी.एल.नरसिंहा राव : मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार किस प्रकार का प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है?

श्री परशोत्तम रुपाला: उपसभापति महोदय, मैं माननीय नरसिंहा राव जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि यह सवाल ग्रामीण हाटों को डेवलप करने के संबंध में है, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, वह APMCs के संबंध में है। मैं उनके बारे में भी आपको विस्तार से बता सकता हूं। इन तीनों एक्ट्स को लागू करने के लिए हम राज्य सरकारों के साथ pursue कर रहे हैं।

श्री उपसभापति: प्रश्न संख्या 63, डा. अनिल अग्रवाल।

Damage of crops due to locust attack

*63. DR. ANIL AGRAWAL: Will the Minister of AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that locusts have damaged crops across the country during the last two years and till now, if so, the details thereof, State-wise;

(b) the State-wise details of Total loss of crops due to attack of locusts during the last two years; and

(c) the compensation paid by Government to the affected farmers whose crops have been damaged?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (SHRI KAILASH CHOUDHARY): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) During financial year 2018-19, there was no locust attack in India.

During financial year 2019-20, Gujarat State Government has reported that locust has damaged crops and the Total estimated damaged crop area is 18,727 hectares, out of which damage of 33% and more is estimated in 13,881 hectares.